www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 31.01.2017

सीबीआई ने तथाकथित पॉच लाख रू. की घूसखोरी के मामले में पश्चिमी रेलवे के दो वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ताओं को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने तथाकथित पॉच लाख रू. की घूस मॉगने व चेक के माध्यम से स्वीकार करने पर ई.एम.यू. कार्यशाला, पश्चिम रेलवे, महालक्ष्मी, मुम्बई के दो वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता गिरफ्तार किया।

विभागीय परीक्षा में शिकायतकर्ता के लिए अनुचित पक्षपात दर्शाने हेतु घूस की मॉग के आरोप पर मामला दर्ज किया। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से चेक के माध्यम से कथित घूस स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों के परिसरों पर तलाशी की गई।

गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, मुम्बई के समक्ष पेश किया गया एवं दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****